

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 8129

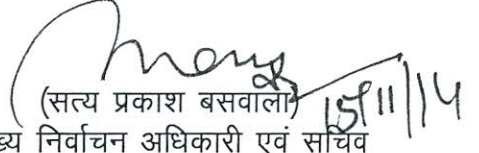
दिनांक :- 17/11/14

आदेश

सां.आ. 98/2014- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना - No.F.4(25) Am/Rule/Ele/Legal/PR/2014/1531 दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के द्वारा राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40, 50, 52, 59, 36A, 39A, 44A, प्ररूप-VII तथा प्ररूप-XIV में 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प जोड़ने के लिए संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के अनुसार अब पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में ऐसे मतदाता जो चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में अपना मत नहीं देना चाहते, उनके लिए मतपत्र में 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। इन नियमों में 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प हेतु कोई चिह्न विहित नहीं किया गया है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91-क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतपत्र में 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को प्रदर्शित करने के लिए निम्नांकित निर्देश प्रदान करता है :-

1. मतपत्र पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा के विकल्प के लिए पैनल में अभ्यर्थी के नाम के स्थान पर "उपर्युक्त में से कोई नहीं" अंकित किया जाएगा।
2. मतपत्र में 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के सामने चुनाव चिह्न के स्थान पर **NOTA** चिह्न गोलाकार किनारों के साथ आयताकार रूप में अंकित किया जाएगा।
3. 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के निर्धारित उक्त चिह्न के पृष्ठभूमि (background) में काला रंग होगा, जिस पर सफेद रंग से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTER) में NOTA अंकित होगा।

आज्ञा से,

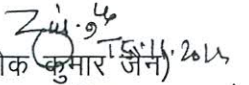

(सत्य प्रकाश बसवाल)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 8130-36

दिनांक :- 17/11/14

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।
4. समस्त निर्वाचन अधिकारी (पंचायत चुनाव) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक के भाग 6 (ग) में प्रकाशित कर 50 प्रतियां आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. निजी सहायक, उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
7. लेखा शाखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव